

11/5/23

आज यह पत्रावली जार्जी के द्वारा जार्जना पत्र अंतर्गत
 23 नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी में
 ली गयी। जार्जना पत्र में जार्जी के द्वारा निवेदन
 किया कि उक्त पुराण में आनुषंगिक त्रुटि के कारण
 जार्जी उक्त जार्जना पत्र को वापस लेकर नया पत्र
 प्रस्तुत करना चाहता है। अतः जार्जी को उक्त
 जार्जना पत्र वापस लेकर नया जार्जना पत्र प्रस्तुत
 करने की अनुमति प्रदान की जावे।

जार्जी व जार्जी अधिवक्ता को सुना गया व जार्जी
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। जार्जना पत्र
 आनुषंगिक स्तर पर है। अतः जार्जी का जार्जना पत्र
 आदेश 23 नियम 1 CPC स्वीकार किया जाकर जार्जी
 का जार्जना पत्र अंतर्गत धारा 212 Pt A इसी
 स्तर पर स्वीकार किया जाता है व नया
 जार्जना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
 पत्रावली निर्दिष्ट होकर नम्बर से कम नम्बर प्राप्ति
 पत्र है।




जिल्हा न्यायालय (राजस्थान)
 श्री करणपुर

